न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2018 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00004

उनवान

फतेह सिंह पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी ग्राम घाटौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 07.12.2017 प्र.संख्या 79/17 उनवानी फतेह सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पुरूषोत्तम मुदगल उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 05.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 07.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, रूपवास ने आराजी खसरा नंबर 615/119 रकवा 04 बीघा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन में से 01 बीघा 05 विस्वा भूमि पर अपीलांट द्वारा बाजरा फसल काश्त कर एवं पुख्ता डण्डा करने पर, अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं फसल जब्त की जाकर नीलाम करने एवं पुख्ता डण्डा को ध्वस्त कराकर मलवे को नीलाम करने के आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 615/119 रकबा 04 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम घाटौली में से 01 बीघा 05 विस्वा पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि अपीलाण्ट का खेत खसरा नम्बर 119 उसकी खातेदारी में है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की भूमि पर ही काश्त करता आया है। गैर मुमकिन भूमि पर उसके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे, बिना पैमाईश कराये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है इसलिए अपीलाण्ट ने पैमाईश के लिए कई बार आवेदन किया गया था किन्तु पैमाईश नहीं कराई गयी है। उक्त विवादित आराजी में से कुछ हिस्सा जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पुलिस चौकी के लिए आवण्टन किया गया था जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में, प्रस्तुत की गयी थी, जो न्यायालय हाजा से स्वीकार की जाकर आवंटन दिनांक 14.05.1998 को निरस्त किया गया। उक्त आदेश की रिव्यु राज्य सरकार द्वारा न्यायालय हाजा में लगायी गयी, जो दिनांक 14.08.2003 को खारिज कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेशो की ओर गौर ना करते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ न्यायालय हाजा के उक्त आदेशो की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश, विधिवत एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर बजरा की फसल बोकर एवं पुख्ता डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण सिद्ध होने पर ही, नायब तहसीलदार रूपवास द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलाण्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की गयी है, जो एक अतिक्रमी के खिलाफ न्यायोचित आदेश है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने सम्वत 2074 खरीफ में विवादित आराजी खसरा नम्बर 615/119 रकवा 04 बीघा 05 विस्वा गैर मुमकिन में से 01 बीघा 05 विस्वा भूमि पर बाजरा फसल काश्तकर एवं पुख्ता डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया है। जहॉ तक प्रश्न, पुलिस चौकी को किए आवंटन का निरस्त होने एवं उसकी रिव्यु के खारिज होने का है, उक्त आदेश से विवादित भूमि में, पुलिस चौकी को आवंटित भूमि का केवल आवंटन खारिज किया गया है, विवादित भूमि पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट के किसी प्रकार अधिकार सृजन का सूचक बिल्कुल भी नहीं है। अतः कथित आदेश से अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रूपवास ने उचित रूप से अतिक्रमी पाये जाने पर, विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये हैं एवं प्रथम अपील भी उचित ही खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है एवं इस प्रकार की भूमि पर अपीलाण्ट को कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं गलत तथ्यों पर है जो काबिल खारिजी है। हम अपीलाधीन आदेश को किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 07.12.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official